फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री फतहगीरी गोस्वामी निवासी 330, शीतल नगर, बाणगंगा, इंदौर (मध्य प्रदेश)
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 51/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.11.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0,05/2021/1193 — 1195 दिनांक 26.11.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2021 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 19.07.2021 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध कार्यालय से नही होकर तहसील कार्यालय राजसमन्द से होने के कारण जरिये पत्रांक 644 — 45 दिनांक 20.07.2021 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार राजसमन्द को प्रेषित किया गया। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 318 दिनांक 03.08.2021 से प्रार्थी से शुल्क की मांग की गई व जरिये पत्रांक 368—370 दिनांक 26.08.2021 से आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 02 की सूचना उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को उपलब्ध कराने हेतु अन्तरण करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया। उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 2384 दिनांक 28.09.21 से आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 02 की सूचना हेतु प्रार्थी को स्पष्ट विशिष्टिया स्पष्ट रूप से अंकित कर भिजवावें ताकि सूचना उपलब्ध कराई जा सके, पत्र प्रार्थी को प्रेषित किया गया। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 639 दिनांक 10.11.2021 से अवगत किया गया कि प्रार्थी को बिन्दु संख्या 01 की सूचना उपलब्ध कराई जा चुकि हैं तथा बिन्दु संख्या 02 के लिये उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को प्रेषित किया गया। अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन दिनांक 06.07.2021 से बिन्दु संख्या 01 की सूचना तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपलब्ध कराई जा चुकि है तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना के संबंध में प्रार्थी को स्पष्ट विशिष्टिया स्पष्ट रूप से अंकित कर भिजवावें ताकि सूचना उपलब्ध कराई जा सके उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा लिखा गया हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार बिन्दु संख्या 01 की सूचना तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा उपलब्ध कराई जाने तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना के संबंध में प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना की स्पष्ट विशिष्टिया स्पष्ट रूप से अंकित कर उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के यहॉ आवेदन पेश करें।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)